उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या-08/2018/360/94-1-2018/312(140)/2016

लखनऊ दिनांकः 24 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से

1- अनुसूची (क) एवं अनुसूची (ख) में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला-बहराइच में नया निबन्धन उप जिला-पयागपुर सृजित करते हैं, और

2- क्रमश: अनुसूची-क और अनुसूची-ख में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए निबन्धन उप जिला बहराइच सदर और कैसरगंज की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं:-

अनुसूची (क)

निबन्धन उप जिला-बहराइच सदर से अपवर्जित किये गये और नव सृजित निबन्धन उप जिला पयागपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

निबन्धन उप जिला बहराइच सदर जिला बहराइच के ग्राम							
1	भदौली चक	14	वीरपुर	27	परना	40	हंसुवापारा
2	खोरिया शफीक	15	निपनिया	28	बभनियावां	41	इमिलयागंज
3	हटवा हरदास	16	डेरवा हरबंशपुर	29	पचदेवरा	42	बनकटा
4	लहरौरा	17	पकड़ी कला	30	पैड़ी	43	लालपुर
5	कोल्हुवा	18	गोविन्दपुर	31	कल्हवापुर	44	शम्भु टिकरी
6	गुलवरिया	19	शिवदहा	32	लखाहीपुतली तारा	45	सतरही
7	सतपेडिया	20	सेवढ़ा	33	ऐलो	46	हटवा गोपालपुर
8	कलाम सतरही	21	थवई	34	खजुरी	47	अमदापुर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9	बेलवा पदुम	22	झिंगुरी	35	वैनी	48	सहसरावां
10	रजवापुर	23	मलावां	36	खुरथुवा	49	रूकनापुर
11	अरकापुर	24	रायडीह	37	परसिया	50	झाला तरहन
12	खुटेहना	25	पड़री	38	कलुई	51	सरसा
13	चन्दवापुर	26	परसिया पण्डित	39	देवरिया	52	पहडवा
53	हरैया	82	सोहरियावां	111	अमराई	140	घनघटा
54	वेलखरा	83	सुहेलवा	112	सुल्तानपुर	141	जैसौरा
55	मधनगरा	84	चैसार	113	परसिया	142	मनिकापुर
56	त्रिकोलिया	85	मुण्डेरवा ठकुराइन	114	खरिहा	143	गंगवल
57	मो०पुर ककरहा	86	चन्दामऊ	115	दपौली	144	गांगूदेवर
58	सुमेरपुर	87	उघरना ठकुराईन	116	लक्खारामपुर	145	सेखापुर
59	मोहनपुर माफी	88	धौली	117	पुरैना	146	झोरी कुड़या
60	राजापुर कला	89	रानीपुर तिलक	118	पटना	147	दिगितपुरवा
61	तालाब बघेल	90	बिलरवा	119	ठोरिया	148	जमुनहाकला
62	भगतपुरवा	91	तेन्दुवा कबीर	120	मुण्डेरवा सरहदी	149	गुजरा
63	काशीजोत	92	बसनेरा	121	बरानिजाम	150	बनघुसरा
64	नूरपुर	93	सुनगा	122	सिसहना	151	फतेहपुरवा
65	पयागपुर	94	गोपारा	123	जलालपुर	152	चंदईपुर
66	अकरौरा	95	नेजाभार	124	कुरसहा	153	लखनगोड़ा
67	सिमरियावां	96	चरनिया कोट	125	कांधभारी	154	प्रतापपुर तरहर
68	पिपरा पदारथ	97	खजुरार	126	सेमरौना	155	राजापुर गिरण्ट
69	खुनौरा	98	बालापुर	127	खानपुर मल्लाह	156	शिवपुर बैरागी
70	मनिकापुर कला	99	ललितनगर	128	गनेशपुर	157	गुलरिहा
71	कोड़रीताल	100	बुढनी भलुहिया	129	निगोह	158	सेमरा
72	सेवा समाधि	101	जोकहा	130	गेन्धरिया	159	हरदाही
73	बनियागांव	102	तकिया	131	ककरा मोहम्मदपुर	160	बन्जरिया
74	कुशभौना	103	भवानीपुर बनकट	132	सुल्तानामाफी	161	बड़ागांव
75	गुरचाही	104	मझौवा बनकट	133	कंछर	162	डोलकुआं
76	रोहनीभारी	105	बालानगर कोड़री	134	नेवलापुर	163	रमनगरा
77	पहलवारा	106	खरगौरा जनूब	135	रनियापुर गोबरही	164	लोधैजोत
78	सचैली	107	अमकोलवा	136	उधरना सरहदी	165	प्रतापुर उपरहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

79	दुधौली	108	सरकाही	137	कटोरवा		
80	दुहेलवा	109	चन्द्रावां	138	नेठिया		
81	नरायनपुर	110	बेलभरिया	139	पूरेशिवसहाय	166	गंगा जमुनी

अनुसूची (ख)

निबन्धन उप जिला कैसरगंज से अपवर्जित किये गये और नवसृजित निबन्धन उप जिला पयागपुर में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

निबन्धन उप जिला कैसरगंज जिला बहराइच के ग्राम			
1	खानपुर	16	जगतापुर
2	निबंईकला	17	गाजीपुर कोड़री
3	कन्दरा	18	पातूपुर
4	धनपारा	19	धरमपुर
5	निबुईखुर्द	20	भैसहा
6	जिगनिया जसकरन सिंह	21	ज्ञानापुर
7	जिगनिया छत्रपाल सिंह	22	शेखापुर
8	कलुयापुर	23	सोनहरा
9	कटघरा खुर्द	24	खरगापुर
10	बलचन्दपुर	25	बेहड़ा
11	रामपुर	26	शिवरहा
12	त्रिकोलिया	27	बनपुरवा
13	सिंहपुर	28	बरूही
14	शिवनहा	29	जलालपुर
15	देवनपुर	30	लौकाही

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिकता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

(हिमांशु कुमार)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमुख सचिव।

संख्या-08/2018/360/94-1-2018-312(140)/2016 दिनांक 24/04/2018

प्रतिलिपि- हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 24 अप्रैल 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियॉ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश लखनऊ को तथा 50 प्रतियॉ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(भैरवनाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

संख्या-08/2018/360/94-1-2018-312(140)/2016 दिनांक 24/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम उ0प्र0 कानपुर।
5- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
7- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ।
8- जिलाधिकारी बहराइच।
9- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पदेन जिला निबन्धक बहराइच।
10- उप महानिरीक्षक निबन्धन गोण्डा।
11- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बहराइच।
12- विधायी अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल।

(भैरवनाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.08/2018/360/94-1-2018-312(140)/2016 dated 24 April, 2018

NOTIFICATION
N0.08/2018/360/94-1-2018-312(140)/2016
Lucknow:: Dated:: 24 April, 2018

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act 1908(Act no.16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act 1897(Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf the Governor is pleased to;

(1) create a new registration sub district Payagpur in district **Bahraich** by including revenue villages given in Schedule-A and Schedule-B; and

(2) alter the limits of Registration sub districts of **Bahraich** Sadar and Kaiserganj by excluding areas of the revenue villages given in Schedule-A and Schedule-B respectively

with effect from the date of publication of this notification in the Gazette

SCHEDULE- A

List of villages excluded from registration sub district Bahraich Sadar **and included in the newly created registration sub district** Payagpur **:-**

Villages registration of sub-district Bahraich Sadar District Bahraich							
1	Bhadauli Chak	26	Parsiya Pandit	51	Sarsa	76	Rohni Bhari
2	Khoriya Shafeek	27	Parna	52	Pahadwa	77	Pahalwara
3	Hatwa Hardas	28	Babhniyawan	53	Haraiya	78	Sachauli
4	Lahraura	29	Pachdewra	54	Velkhara	79	Dudhauli
5	Kolhuwa	30	Paidi	55	Madhnagra	80	Dehulwa
6	Gulwariya	31	Kalhwapur	56	Trikolia	81	Narayanpur
7	Satpedia	32	Lakhahiputli Tara	57	Mohdpur Kakaraha	82	Sohriyawan
8	Kalam Satrahi	33	Ailo	58	Sumerpur	83	Suhelwa
9	Belwa Padum	34	Khajuri	59	Mohanpur Mafi	84	Chaisar
10	Rajwapur	35	Vaini	60	Rajapur Kala	85	Munderwa Thakurain
11	Arkapur	36	Khurthuwa	61	Talab Baghel	86	Chandamau
12	Khutehna	37	Parsiya	62	Bhagatpurwa	87	Ugharna Thakurain
13	Chandwapur	38	Kalui	63	Kashijot	88	Dhauli
14	Beerpur	39	Deoria	64	Noorpur	89	Ranipur Tilak
15	Nipaniya	40	Hansuwapara	65	Payagpur	90	Bilarawa
16	Derwa	41	Imeliaganj	66	Akraura	91	Tenduwa kabeer

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	Harbanshpur						
17	Pakdi Kala	42	Bankata	67	Semariyawan	92	Basnera
18	Govindpur	43	Lalpur	68	Pipra Padarath	93	Sunga
19	Shivdaha	44	Shambhoo Tikri	69	Khunaura	94	Gopara
20	Sevdha	45	Satrahi	70	Manikapur Kala	95	Neja Bhar
21	Thawai	46	Hatwa Gopalpur	71	Kodritaal	96	Charniya Kot
22	Jhinguri	47	Amdapur	72	Sewa Samadhi	97	Khajurar
23	Malawan	48	Sahasrawa	73	Baniya Ganv	98	Balapur
24	Raideeh	49	Rukanapur	74	Kushbhauna	99	Lalitnagar
25	Padri	50	Jhala Tarhan	75	Gurchahi	100	Budhni Bhaluhiya

101	Jokha	121	Vara Nijam	141	Jaisaura	161	Bada Ganv
102	Takiya	122	Sisahna	142	Manikapur	162	Dolkuan
103	Bhawanipur Bankat	123	Jalalpur	143	Gangwal	163	Ramnagara
104	Majauwa Bankat	124	Kursaha	144	Gangoo Dewar	164	Lodhejot
105	Bala Nagar Kodri	125	Kandhbhari	145	Sekhapur	165	Pratappur Uparhar
106	Khargaura Janub	126	Semrauna	146	Jhurri Kuiyan	166	Ganga Jamuni
107	Amkolwa	127	Khanpur Maloh	147	Digitpurwa		
108	Sarkahi	128	Ganeshpur	148	Jamunaha kala		
109	Chandrawa	129	Nigoh	149	Gujra		
110	Belbhariya	130	Gendharia	150	Banghusra		
111	Amrai	131	Kakra Mohammadpur	151	Fathepurwa		
112	Sultanpur	132	Sultanamafi	152	Chandaipur		
113	Parsiya	133	Kanchhar	153	Lakhangoda		
114	Khariha	134	Neylapur	154	Pratappur Tarhar		
115	Dapauli	135	Raniyapur gobarahi	155	Rajapur Girant		
116	Lakkharampur	136	Udharna Sarhadi	156	Shivpur Vairagi		
117	Puraina	137	Katorwa	157	Gulariha		
118	Patna	138	Methiya	158	Semra		
119	Thoria	139	Poorey Shiva Sahal	159	Hardahi		
120	Munderwa Sarhadi	140	Ghanghata	160	Banjariya		

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

SCHEDULE- B

List of villages excluded from registration sub district Kaiserganj and included in the newly created registration sub district Payagpur:-

Villages registration of sub-district Kaiserganj District Bahraich			
1	Khanpur	16	Jagatapur
2	Nibui Kala	17	Ghajipur Kodari
3	Kandra	18	Patupur
4	Dhanpara	19	Dharampur
5	Nibuikhurd	20	Bhainsha
6	Jiganiya Jasekaran Singh	21	Gayanapur
7	Jigainya Chhatrpal Singh	22	Shekhapur
8	Kaluva Pur	23	Sonhara
9	Katghara Khurd	24	Khargapur
10	Balchandpur	25	Behda
11	Rampur	26	Shivraha
12	Trikoliya	27	Vanpurwa
13	Singhpur	28	Baruhi
14	Shivnahan	29	Jalalpur
15	Devanpur	30	Laukahi

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

(Himanshu Kumar)
PramukhSachiv

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।